रा० रा० श्रीमान माननीय सदस्य महोदय राजस्व मंडल म०प्र० के समक्ष

22/1991-I

अशोक पिता जेठमल

निवासी हुक्मासेड़ी तह० इंदौर - प्रार्थी

बनाम

गीताबाई पति जेठमल

निवासी हुक्मासेड़ी तह० इंदौर :प्रतिप्रार्थीया

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० भू०रा० संहिता १९५९

प्रार्थी व्दारा यह निगरानी श्रीमान अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर व्दारा व्दितीय अपील क्रमांक २४१।८४-८५ में दिनांक १६-७-९० को पारित आदेश से दुःखी एवं असन्तुष्ठ होकर निम्न अनुसार अवधि अन्दर पेश है।

प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रतिप्रार्थीया गीताबाई व्दारा जेठमल की मृत्यु होने पर उसकी कृषि भूमि खाता क्र०२ में रकबा २-०० हे०पर नामान्तरण किये जाने बाबद आवेदन किया गया। आवेदन-पत्र नायब तहसीलदार इंदौर व्दारा दि० १३-६-७७ को स्वीकार किया गया इसके खिलाफ प्रार्थी व्दारा अनुविभागीय अधिकारी इंदौर के समक्ष इस आशय से अपील पेश की गयी कि वह मृतक जेठमल का गोद पुत्र है तथा उसका नाम भी उक्त कृषि भूमि पर प्रतिप्रार्थीया के साथ-साथ अंकित किया जाये। अनुविभागीय अधिकारी इंदौर व्दारा प्रार्थी की अपील स्वीकार की गयी तथा प्रकरण रिमाण्ड किया गया। नायब तहसीलदार इंदौर व्दारा दि० ५-५ ... प्रार्थी की आपति निरस्त की गयी। इस आदेश के खिलाफ पेश प्रथम अपील ... निरस्त की गयी। इस आदेश के खिलाफ प्रार्थी व्दारा पेश व्दितीय अपील ... में दि० १७-६-८३ को स्वीकार की जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी ... प्रत्यावर्तित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी व्दारा नायब तहसीलदार का आदेश कायम रखा गया। इस आदेश के खिलाफ पेश व्दितीय अपील आलोच्य आदेश ... की गयी जिसके खिलाफ यह निगरानी

R 35-I / 91 इंदौर

अशोक / गौबावाई

16.3.2016 DA	आवेदक की ओर से सूचना उपरांत कोई भी उपस्थित नहीं। तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अध्यक्ष

[कृ. प. उ.